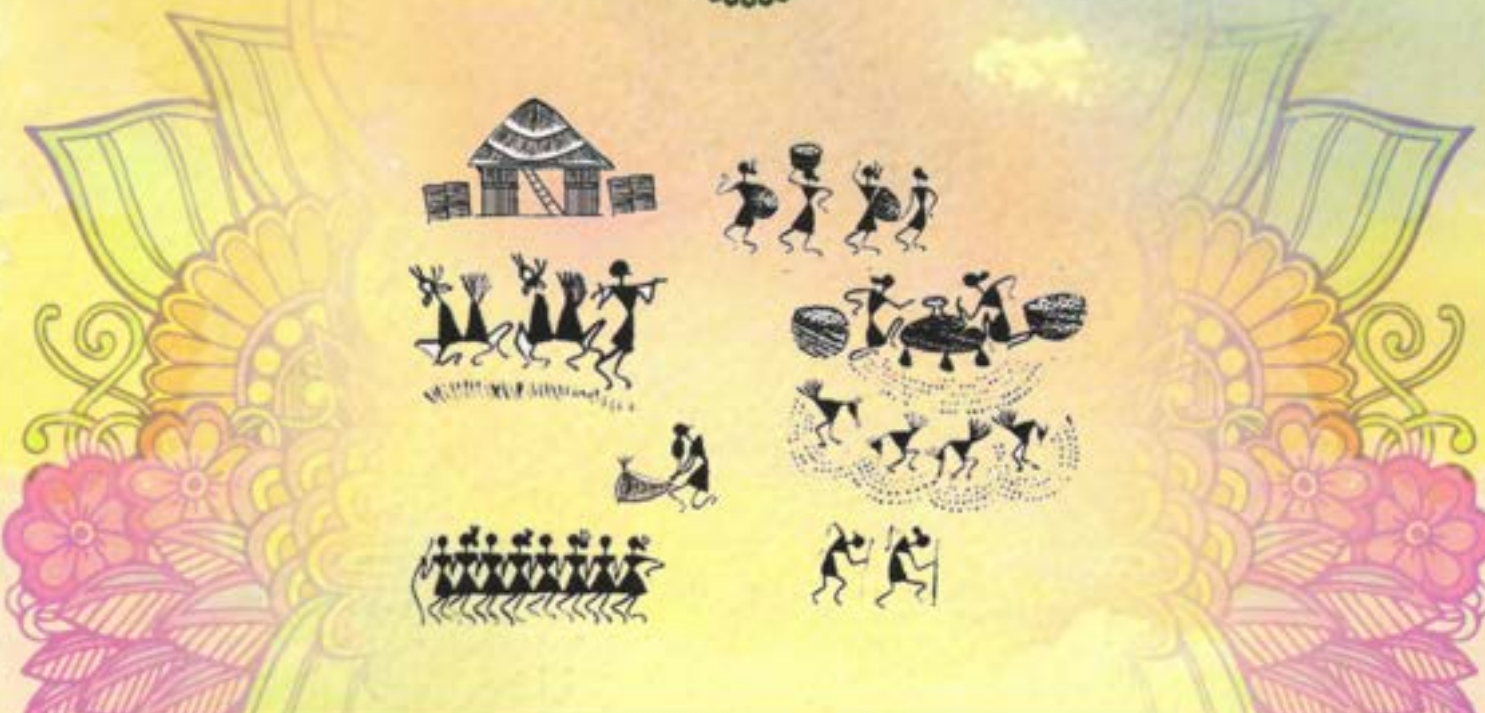






छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान"

Chhattisgarh State Rural Livelihood Mission (CGSRLM)

परिचय

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) जून, 2011 से प्रारंभ किया है।

दिनांक 1 जून 2011 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में "छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति" का गठन किया गया है, जिसे "बिहान" नाम दिया गया है - जिसका अर्थ है "सबेरा"।

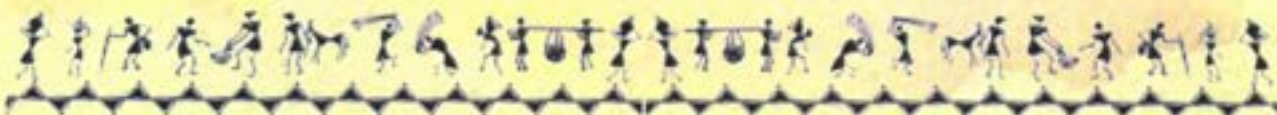
छत्तीसगढ़ राज्य में समुदाय के माध्यम से ग्रामीण गरीब एवं वंचित परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने एवं उनका जीवनस्तर उंचा उठाने के लिए बिहान कार्यरत है।

मिशन

ग्रामीण गरीब परिवारों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनकी सशक्त एवं स्थायी संस्थाएं बनाकर लाभदायक स्वरोजगार एवं कुशल मजदूरी वाले रोजगार के अवसर प्राप्त करने में समर्थ बनाना जिसके फलस्वरूप उनकी गरीबी कम हो एवं उनके जीवनस्तर में उल्लेखनीय सुधार हो।

उद्देश्य

- छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक ग्रामीण गरीब व वंचित परिवारों से कम से कम एक महिला को स्व-सहायता समूह से जोड़कर संगठित करना है।
- स्व-सहायता समूह की उच्चस्तरीय सामुदायिक संस्थाओं यथा ग्राम संगठन (VO), संकुल स्तरीय संगठन (CLF) विकासखंड स्तरीय संगठन (BLF) व जिला संगठन का निर्माण करना।
- समूह से जुड़े सदस्यों के आजीविका विकास हेतु प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना।
- बिहान की गतिविधियों एवं अभिसरण के माध्यम से ग्रामीण गरीब परिवारों की वार्षिक आय में न्यूनतम राशि रु. 1 लाख से अधिक की वृद्धि में सहयोग करना।



सामाजिक अन्तर्वेशन एवं संस्था निर्माण (Social Mobilization & Institution building)

1. स्वयं सहायता समूहों का गठन : सामाजिक- आर्थिक एवं जातिगत जनगणना, 2011 की सूची में शामिल गरीब एवं वंचित परिवार की महिलाओं को स्व-सहायता समूह के रूप में संगठित किया जाता है। एक समूह में 10 से 15 महिलाएं हो सकती हैं।
2. समूह की सक्रिय महिलाओं (active women) का चिन्हंकन कर क्षमतावर्धन कर सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRP) के रूप में विकसित करना।
3. 4 से 5 CRP के माध्यम से नए गांव में CRP चक्र प्रारंभ कर नए समूहों का गठन करना तथा पुराने समूहों को पुनर्जीवित करना, निष्क्रिय समूहों को क्रियाशील करना।
4. स्वयं सहायता समूहों की क्रियाशीलता हेतु पंचसूत्र का पालन अनिवार्य

1. नियमित बैठक	6. स्वच्छ समूह
2. नियमित बचत	7. सुशिक्षित समूह
3. नियमित आंतरिक लेन-देन	8. नशामुक्त समूह
4. नियमित ऋण-वापसी	9. स्वस्थ समूह
5. नियमित दरतावेज संचारण	10. सुपोषित समूह
	11. सशक्त समूह- ग्राम सभा में सहभागिता।
5. स्व-सहायता समूहों के सहयोग एवं निरंतरता के लिये उच्चस्तरीय संगठन तथा ग्राम संगठन (VO), संकुल स्तरीय संगठन (CLF), विकासखंड स्तरीय संगठन (BLF) व जिला स्तरीय संगठन (DLF) का गठन किया जाता है।
6. इन संगठनों के संश्लिष्टकरण हेतु स्टार्ट-अप राशि के रूप में रु. 35,000 प्रत्येक ग्राम-संगठन को तथा रुपये 2 लाख प्रत्येक संकुल स्तरीय संगठन को दिया जाता है।
7. इन संगठनों के कार्यों एवं आजीविका मिशन की निर्धारित गति विधियों के संचालन हेतु विभिन्न उपसमितियाँ गठित की गई हैं।
8. सामाजिक समावेशन (Social Inclusion) के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना, 2011 के आंकड़ों के आधार पर वंचित वर्ग के परिवारों एवं सर्वेक्षण में छोटे परिवार, विशेष रूप से विशेष पिछड़ी जनजाति, दिव्यांग, महिला मुखी (विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा आदि), भूमिहीन तथा अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित किया जा रहा है। साथ ही इनके आजीविका संवर्धन एवं हकदारी (entitlements) तक पहुँच बनाने हेतु भी कार्य किया जा रहा है।



- वर्तमान में 85 विकासखण्ड सघन
- 12 जिले पूर्णतः सघन
- शेष सभी जिलों में कम से कम एक विकासखण्ड सघन



छत्तीसगढ़ के कुल 45.41 लाख ग्रामीण परिवारों में से 37.21 लाख (82 %) ग्रामीण परिवार SECC अनुसार बिहान हेतु लक्षित परिवार है।

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)



ग्राम की गरीब महिलाओं एवं उनके स्व-सहायता समूहों को बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच बनाने के लिये वित्तीय समावेशन के तहत सहायता उपलब्ध कराई जाती है।



3 माह पुराने एवं पंच-सूत्र का पालन करने वाले स्व सहायता समूहों को रु. 15000 वार्षिक निधि (Revolving Fund-RF) के रूप में प्रदान किया जाता है, ताकि उनके कॉर्पस में वृद्धि हो सके एवं समूह के सदस्य अधिक राशि का लेनदेन कर सकें।



5 माह पुराने स्व-सहायता समूहों की एमसीपी मास्टर ट्रेनर के माध्यम से "सूक्ष्म ऋण योजना-MCP" तैयार की जाती है, जिसके आधार पर स्व सहायता समूह को राशि रुपये 50 से 80 हजार तक की सामुदायिक निवेश निधि (Community Investment Fund-CIF) प्रदाय की जाती है।



6 माह पुराने एवं पंच-सूत्र का पालन कर रहे स्व-सहायता समूहों को उनकी आजीविका गतिविधियों हेतु बैंक के माध्यम से रुपये 50 हजार से 3 लाख तक का बैंक ऋण प्रदाय किया जाता है।



ग्राम स्तर पर मौजूद अति गरीब, पिछड़े व कमजोर वर्ग के परिवारों की सहायता हेतु ग्राम-संगठनों को रुपये 1.50 लाख तक का आपदा-कोष (Vulnerability Reduction Fund-VRF) प्रदाय किया जाता है।



स्व-सहायता समूहों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाने हेतु समूह की सक्रिय महिलाओं में से बैंक मित्र, वित्तीय साक्षरता-सीआरपी, बैंक सखी आदि सामुदायिक संवर्ग तैयार कर इनकी सेवायें ली जाती हैं।



आजीविका (Livelihoods)

Farm Livelihoods



कृषि क्षेत्र में ग्रामीण गरीब एवं वंचित समूह के परिवारों का आजीविका संवर्धन कर वर्ष भर आय के स्थायी साधन उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया जा रहा है। जिसमें 'बिहान' से जुड़े समूह के सदस्यों को आजीविका के क्षेत्र में समूह की सक्रिय महिलाओं (कृषि मित्र, आजीविका मित्र, पशुसखी) के माध्यम से ऐसे परिवारों की आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है।

वर्तमान में 'बिहान' अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में निम्नांकित परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं :-

संवहनीय कृषि (Sustainable Agriculture)

परियोजना अंतर्गत प्राकृतिक बीजोपचार, मृदा संरक्षण एवं प्रबंधन, जैविक खाद (नाडेप, वर्मी कम्पोस्ट, हरीखाद, आजोला पिट), जैविक कीटनाशक का निर्माण एवं उपयोग, श्रीविधि पद्धति द्वारा धान गेहूँ उत्पादन आदि कृषि संबंधित गतिविधियाँ जिससे कृषि लागत कम किया जा सके।

इस कार्य हेतु प्रत्येक ग्राम में 1 कृषि मित्र एवं 1 पशु सखी का चयन कर प्रशिक्षण उपरांत संवहनीय कृषि एवं पशुपालन आधारित गतिविधियों का प्रचार प्रसार व कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाना।

प्रत्येक ग्राम संगठन में कृषि यंत्र बैंक (Tool Bank) की स्थापना की जानी है। जिसका संचालन ग्राम संगठन की आजीविका उप समिति द्वारा किया जाना।

महिला किसान सशक्तिकरण (MKSP)

समुदाय आधारित संवहनीय कृषि (CMSA)

वर्तमान में यह कार्यक्रम राज्य के 12 जिलों के 21 विकासखण्डों (छुरा, फिंगेश्वर, बरतार, बकायंड, बरतानार, राजनांदगांव, मानपुर, डोगरगांव, बलरामपुर, रामचन्द्रपुर, वाडूफनगर, नरहरपुर, माकड़ी, आरंग, तिल्दा, सिमगा, लखनपुर, ओड़गी, कुरुद, मगरलोड एवं कांसाबेल में संचालित है एवं अब तक 41,478 स्व-सहायता समूह के सदस्यों/परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के 14 जिलों के 29 विकासखण्डों में 1,500 गांवों में कार्यक्रम का विस्तार कर 1,50,300 स्व-सहायता समूह सदस्यों/परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

महिला किसान सशक्तिकरण (MKSP)

परियोजना दिसम्बर 2016 से दिसम्बर 2019 की अवधि के लिए स्वीकृत की गई है, जिसमें 60,000 महिला किसानों को लाभान्वित किया जाना है।

पशुपालन अंतर्गत पशुसखी के माध्यम से बकरीपालन हेतु 12,000 परिवार एवं मुर्गीपालन हेतु 18,000 परिवारों का लक्ष्य रखा गया है।

वर्तमान में यह कार्यक्रम राज्य के 07 जिलों के 12 विकासखण्डों (बलरामपुर, वाडूफनगर, राजनांदगांव, मानपुर, बरतार, बरतानार, लखनपुर, छुरा, फिंगेश्वर, आरंग, तिल्दा एवं कुरुद) के 600 गांवों में दिसम्बर 2016 से प्रारंभ किया गया है।

प्रस्तावित परियोजना

वित्तीय वर्ष 2017-18 में लघु वनोपज (NTFP) आधारित व डेयरी से संबंधित गतिविधियाँ प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है।



स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम

Start-up Village Entrepreneurship Programme (SVEP)

परिचय

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान" अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की उपयोगिता के रूप में स्टार्ट-अप विलेज आन्वर्प्रिन्डोरशिप प्रोग्राम (SVEP) भारत सरकार के मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार शुरू किया गया है।

उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना तथा स्व-रोजगार एवं रोजगार के अवसर बढ़ाना,
- मैनुफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेस, परंपरागत कौशल एवं स्थानीय उपलब्ध संसाधन के वैल्यू एडिशन के माध्यम से बेसलाइन सर्वे एवं मार्केट एनालिसिस के आधार पर नये ग्रामीण उद्यमी एवं उद्यम तैयार करना तथा कार्यरत उद्यमियों का बिजनेस रिकॉर्ड बढ़ाना,
- गरीब एवं वंचित ग्रामीणों के कौशल उन्नयन एवं उनकी भागीदारी से ही ग्रामीण बाजार विकसित कर ग्रामीण परिवारों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति मजबूत करना,
- ग्रामीण उद्यमियों के लिए वित्त की व्यवस्था करने में सहयोग करना,

क्रियान्वयन

- छत्तीसगढ़ राज्य में योजना के क्रियान्वयन के लिए नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन तथा Program Implementation Agency (PIA) के रूप में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (EDII), अहमदाबाद कार्य कर रही है, जिनके द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड के लिए उद्यमिता के अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है,
- बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट के कार्य के लिए स्थानीय ग्रामीण महिला या पुरुष को कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन-इंटरप्राइस प्रमोशन (CRP-EP) के रूप में घयन कर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है,
- बिहान अंतर्गत गठित सामुदायिक संगठन- ब्लॉक या नोडल क्लस्टर लेवल फेडरेशन (BLF/CLF) के द्वारा विकासखण्ड स्तर पर ब्लॉक रिसोर्स सेंटर (BRC) संचालित किये जा रहें हैं। जिनके द्वारा घयनित उद्यमियों को CRP-EP के सहयोग से तैयार किये गये बिजनेस प्लान के अनुमोदन के उपरान्त प्रारंभिक वित्तीय सहायता के रूप में योजनांतर्गत प्रावधानित सामुदायिक उद्यम राशि (Community Enterprise Fund) ऋण तथा बैंक लिंकेज किया जायेगा। साथ ही उनको एक्सपोजर विजिट तथा शासकीय योजनाओं के कन्वर्जेंस के माध्यम से आवश्यक सपोर्ट प्रदान किया जायेगा।

योजनांतर्गत पात्रता

- उद्यमिता विकसित करने आयु का कोई बंधन नहीं है, गैर कृषि उद्यम ही मान्य होंगे तथा मनरेगा से जुड़े व्यक्ति, महिला, अनुसूचित व जनजाति, वंचित वर्ग के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)

परिचय

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, 'बिहान' द्वारा संचालित की जा रही रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे युवाओं को प्रशिक्षण उपरांत रोजगार (wage employment) प्रदान किया जाता है।

योजनांतर्गत प्रशिक्षण हेतु आयु सीमा- 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा तथा विशेष समूहों यथा आदिम जनजाति समूह, दिव्यांग, पुर्नवासित बंधुआ मजदूर, अवैध व्यापार से पीड़ित, सर पर मेला डोने वाले, किन्नर एवं एच आई व्ही पीड़ित युवाओं के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष है।

पात्रता- सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना, 2011 की सूची में स्वतः शामिल एवं वंश सूचकांक में शामिल परिवार के युवा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का र्कधारी परिवार के युवा, कम से कम 15 दिन मनरेगा अंतर्गत कार्य करने वाले परिवार के युवा, अंत्योदय अन्न योजना का र्कधारी परिवार के युवा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' अंतर्गत स्व-सहायता समूह के परिवार के युवा।

योजना के अंतर्गत प्रावधान

- अभिरुचि के अनुसार योग्यता आधारित प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क।
- आवासीय प्रशिक्षण में निःशुल्क भोजन का प्रावधान तथा गैर आवासीय प्रशिक्षण में रुपये 125 प्रतिदिन प्रति हितग्राही को भत्ता देने का प्रावधान।
- निःशुल्क प्रशिक्षण सामग्री पेन, कापी, विज्ञापन यूनिफार्म का प्रावधान।
- अंग्रेजी, कम्प्यूटर व व्यक्तित्व विकास का अतिरिक्त अनिवार्य प्रशिक्षण।
- चयनित गुणवत्तापूर्ण सक्षम परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियां (PIA) द्वारा प्रशिक्षण का संचालन एवं नियोजन।
- प्रशिक्षण के पश्चात् न्यूनतम रुपये 8,000 मासिक वेतन के रोजगार (wage employment) का प्रावधान।
- प्रशिक्षण उपरांत अकलन में सफल हितग्राहियों को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.व्ही.टी.) एवं सेक्टर स्किल काउंसिल (एस.एस.सी.) द्वारा जारी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र देना।



प्रशिक्षण हेतु वर्तमान में उपलब्ध कोर्सेस

रिटेल, आई.टी.ई.एस., टेलीकॉम, लॉजिस्टिक्स एण्ड सप्लाय चेन, हॉस्पिटलिटी, ऑटोमेटिब स्पेयर, बेकिंग एण्ड एकाउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, ब्यूटिशियन, गारमेंट मेकिंग, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग सेक्टरों में। जॉब- डिमाण्ड आधार पर नये कोर्सेस में प्रशिक्षण दिये जा सकते हैं।

योजनांतर्गत प्रगति

योजनांतर्गत राज्य में 15,753 युवाओं को अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं 5,367 युवाओं को रोजगार दिया गया है एवं वर्तमान में 1413 युवा प्रशिक्षणरत हैं।

प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु संपर्क करें

- छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' अंतर्गत कार्यरत स्व-सहायता समूह / ग्राम संगठन / कलस्टर लेवल संगठन के सदस्यों से।
- जिले एवं विकासखण्ड में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' अंतर्गत कार्यरत संबंधित अधिकारी से।
- जिले में कार्यरत परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों (PIA) के प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी।
- छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका मिशन राज्य कार्यालय में DDU-GKY Cell (Ph 0771-2511736) से।

ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (R-SETI)

Rural Self Employment
Training Institute

ग्रामीण युवाओं के कौशल उन्नयन एवं उनका स्व-रोजगार स्थापित करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण एटीट्यूड (Attitude) विकसित करने लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (R-SETI) की स्थापना की गई है। ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है-

18 से 45 वर्ष के ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को उनकी अभिरुधि एवं योग्यतानुसार चिन्हंकित कर स्वरोजगार हेतु नि:शुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदाय करना

प्रशिक्षण उपरान्त स्व-रोजगार प्रारंभ करने हेतु मार्गदर्शन एवं बैंक से ऋण सुविधा उपलब्ध कराना।

प्रशिक्षणार्थियों को कम से कम 2 वर्ष तक फालो-अप करना, जब तक कि उनका स्थायी सूक्ष्म इन्टरप्राइजेस संचालित न हो जाये।

प्रोग्राम विवरण

कृषि प्रोग्राम :- एग्रीकल्चर एवं एलाइड एक्टिविटीज जैसे- दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, उद्यानिकी, रेशम, मशरूम उत्पादन, मछली पालन आदि।

प्रोडक्ट प्रोग्राम:- ड्रेस डिजायनिंग (स्त्री एवं पुरुषों के लिए), अगरबत्ती, निर्मित बैग, बेकरी प्रोडक्ट, दोना-पतल आदि

प्रोसेस प्रोग्राम :- दो / चार पहिया मरम्मत कार्य, रेडियो / टी.वी. मरम्मत कार्य, मोटर रिवाइडिंग, मोटर / इलेक्ट्रिकल्स ट्रांसफॉर्मर मरम्मत, ट्रेक्टर रिपेयर, मोबाईल रिपेयरिंग, ब्यूटीशियन कोर्स, फोटोग्राफी / विडियोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग, घरेलू विद्युत उपकरण मरम्मत कार्य, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं डी.टी.एच. आदि

जनरल प्रोग्राम:- स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन आदि

अन्य प्रोग्राम:- सेक्टर जैसे लेदर, कन्स्ट्रक्शन, हॉस्पिटलिटी एवं लोकल बाजार की आवश्यकता अनुसार अन्य सेक्टर

प्रगति

आर-सेटी के माध्यम से जनवरी, 2017 तक कुल 401 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 52,930 राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया गया है।

प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु संपर्क करें

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' अंतर्गत कार्यरत स्व-सहायता समूह / ग्राम संगठन / कलस्टर लेवल संगठन के सदस्यों से

जिले एवं विकासखण्ड में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' अंतर्गत कार्यरत संबंधित अधिकारी से

जिले में कार्यरत परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों R-SETI के प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी



प्रोजेक्ट लाइफ- मनरेगा (Project LIFE - MGNREGA)

उद्देश्य :-

महात्मा गांधी नरेगा 2005 का लक्ष्य ग्रामीण को सतत् रोजगार उपलब्ध कराना है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु Project for Livelihoods in full Employment (Project LIFE - MGNREGA) तैयार किया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार में सुधार करना है। इस प्रकार मनरेगा श्रमिकों के रोजगार अवसरों में सुधार होने पर वे वर्तमान में प्रचलित आंशिक रोजगार की स्थिति से पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, इससे उनकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पर निर्भरता कम हो जायेगी।

क्रियान्वयन :-

अर्हताकारी युवाओं को निम्न 3 वर्गों में कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण निम्नानुसार दिया जाता है :-

 रोजगार (wage employment) हेतु कौशल उन्नयन-दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के द्वारा

 स्वरोजगार हेतु कौशल उन्नयन- R-SETI के द्वारा

 आजीविका संवर्धन हेतु कौशल उन्नयन- कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा स्व-रोजगार प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु संपर्क करें :-

 छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' अंतर्गत कार्यरत स्व-सहायता समूह / ग्राम संगठन / क्लस्टर लेवल संगठन के सदस्यों से।

 जिले एवं विकासखण्ड में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' अंतर्गत कार्यरत संबंधित अधिकारी से।

 जिले में कार्यरत R-SETI, एवं कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK) के प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी।



बिहान बाजार

इस अवधारणा के माध्यम से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गठित स्व-सहायता समूहों के द्वारा उत्पादित विभिन्न उत्पादों के गुण-श्रृंखला के निर्माण, विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता जांच और बाजार से संयोजन करने हेतु "बिहान बाजार" को स्वतंत्र ढांचे के रूप में स्थापित किया जाना है। जिससे इन समुदायों के स्वाभाविक कौशल एवं क्षमताओं को पूंजीगत रूप में परिवर्तित किया जा सके तथा ग्रामीणों के सामाजिक-पारिस्थितिक संदर्भ के अनुरूप उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा सके। इसके अतिरिक्त हमारा लक्ष्य यह भी है कि "बिहान बाजार" को विविध प्रकार के उत्पादों हेतु एक ब्रांड के रूप में विकसित किया जा सके, जिससे कि विभिन्न आर्थिक वर्ग के उपभोक्ता इन उत्पादों का उपभोग करते हुए सकारात्मक उपभोग की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान कर सकें।



बिहान-बाजार से यह अपेक्षित है कि, वह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गठित स्व-सहायता समूहों तक अपनी पहुंच बनाते हुए उनके विशिष्ट उत्पादों को एकत्र कर बाजार से संयोजित कर सके।



प्रारंभिक चरण में यह सुनिश्चित किया जाना है जिससे की स्व-सहायता समूह एक नियत आय प्राप्त कर सके। मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाएगी। एक बार जब समूह एक नियत बचत प्रारंभ करेंगे तो वे शनै-शनै बाजार के स्वरूप से परिचित होंगे, जिससे ये समूह परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था में बने रहने के लिए निरंतर प्रयास कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में ग्राम स्तर के संगठन यथा ग्राम संगठन / क्लस्टर संगठन बैंक संयोजन के माध्यम से कार्यशील पूंजी में वृद्धि करने का कार्य करेंगे।



स्व-सहायता समूहों के उत्पादों की गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने हेतु अलग तंत्र की स्थापना की जायेगी।



स्व-सहायता समूहों के खाद्य उत्पादों की जैविक प्रमाणिकता के लिए ख्यातिप्राप्त संस्थाओं के साथ भागीदारी हेतु बिहान के द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है।



बिहान के द्वारा बाजार से संयोजन हेतु उत्पादानुरूप विशिष्ट रणनीति विकसित की जायेगी। बिहान बाजार के माध्यम से स्व-सहायता समूहों के लिए स्थानीय बाजारों में विशेष बुनियादी ढांचे स्थापित किये जाएंगे।



स्थापित व्यापारियों के लिए नियत उत्पादों की बिक्री हेतु ऐसे दूरस्थ स्थलों, जहां उत्पाद की मांग की अधिकता हो, में वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। उदाहरण के लिए कोदो-कुटकी, कोसा सिल्क और धातु शिल्प उत्पादों की मांग की अधिकता महानगरों में अधिक है। इन उत्पादों को बिहान ब्रांड के अंतर्गत व्यावसायिक साझेदारों की सहायता से विपणन किया जा सकता है।